

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
पीठासीन अधिकारी :- श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :- 08 / 2024 GCMS No. 2024/53

परिवादी :-

1. श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर (राज)

बनाम

अभियुक्त :-

1. श्री दिलीप पारीक पुत्र दुर्गा प्रसाद खाद्यकारोबारकर्ता एवं स्टोर मैनेजर
मैसर्स - क्वालिटी बाजार, पानी की टंकी के सामने, नया बाजार बोरावड
निवासी- जाटा बास, बोरावड
2. श्री दगलुराम पारीक भागीदार
मैसर्स - क्वालिटी बाजार, पानी की टंकी के सामने, नया बाजार बोरावड
3. श्री बनवारी लाल पारीक भागीदार
मैसर्स - क्वालिटी बाजार, पानी की टंकी के सामने, नया बाजार बोरावड
4. मैसर्स - क्वालिटी बाजार, पानी की टंकी के सामने, नया बाजार बोरावड
5. Makahm lal S/O sh. suna ram Nominee
M/s Aadhaar-DC-Jaipur. A div of Aadhaar ws trading& dist.ltd.2290,2291
Village- Dahmikalan, Bagru, jaipur-302026
6. M/s Aadhaar-DC-Jaipur. A div of Aadhaar ws trading& dist.ltd.2290,2291
Village- Dahmikalan, Bagru, jaipur-302026
7. Vikram singh sengar s/o Jageshwar singh, Nominee
M/s Kaizen Dairy Foodworks Private Ltd, 7 KM Mile Store, Ateli Kanina Road, Vill-Mahasar,
Dist-Mahendergarh, Haryana-123021
8. M/s Kaizen Dairy Foodworks Private Ltd, 7 KM Mile Store, Ateli Kanina Road, Vill-Mahasar,
Dist-Mahendergarh, Haryana-123021

" परिवाद अन्तर्गत धारा 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 '
उपस्थिति :-

:-निर्णय :-


दिनांक :- 19/12/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.12.2023 को समय 03.00A.M. पर फर्म मैसर्स- मैसर्स - क्वालिटी बाजार, पानी की टंकी के सामने, नया बाजार बोरावड पर पहुंचा। वहां पर श्री दिलीप पारीक पुत्र दुर्गा प्रसाद मिले। श्री दिलीप पारीक को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री दिलीप पारीक ने स्वयं को मैसर्स- मैसर्स - क्वालिटी बाजार, पानी की टंकी के सामने, नया बाजार बोरावड का खाद्यकारोबारकर्ता एवं स्टोर मैनेजर होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा-पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन व स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध घी (Provedic) के 1 लीटर के 19 जार रखे हैं, के अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर 1-1 लीटर के 4 जार पैकड घी (Provedic) खाद्यकारोबारकर्ता एवं स्टोर मैनेजर श्री दिलीप पारीक को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जॉच खरीदा। जिसकी कीमत श्री दिलीप पारीक को 2200/-रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की।



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

जिस पर खाद्यकारोवारकर्ता एवं स्टोर मैनेजर के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं स्टोर मैनेजर तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री दिलीप पारीक एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोवारकर्ता एवं स्टोर मैनेजर श्री दिलीप पारीक को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने घी (Provedic) 1-1 लीटर के जार पर लेवल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ.नागौर के कोड एवं क्रमांक Q-2716 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोवारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.नागौर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलिफ नं. Q-2716 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोवारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं स्टोर मैनेजर तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के क्रमांक/एफएसएसए/जारि/2023/984 दिनांक 29.12.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./1819/Act/2023/1856 दिनांक 14.12.2023 के अनुसार खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (Provedic) का नमूना सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रोवेन्स होना पाया गया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में श्री दिलीप पारीक व अन्य ने खाद्य पदार्थ घी (Provedic) सबस्टेण्डर्ड एवं कोन्ट्रोवेन्स का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा **Substandard as is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat (the fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of cow ghee). The sample also contravens Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations 2011 due to presence of foreign fat**, धारा 26(2)(ii)(V) के अन्तर्गत किये गये अपराध के लिए संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में अभियोजन संस्थित करने की करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके लिये जुर्माने का प्रावधान धारा 51 व 58 के अन्तर्गत निहित है।


 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 कुचामन सिटी

उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की फार्म नं. 6 की पुस्त पर मुख्य खाद्य विश्लेषक की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी की नमूना प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त विश्लेषक सूचना पत्र मूल, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा-पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, अभियोजन संस्थित किये जाने के पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनांक 21.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त श्री दिलीप पारीक खाद्यकारोबारकर्ता एवं स्टोर मैनेजर व अन्य को जरिये नोटिस तलब किया गया। श्री दिलीप पारीक व अन्य द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल मिसल उपलब्ध है।

जिसकी पुष्टि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट से साबित होती है।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के FORM- VII A रिपोर्ट नं.L.S./1819/Act/2023/1856 दिनांक 14.12.2023 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट अजमेर का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-

Opinion- The sample of GHEE bearing Code. No. and Sr. No. Q-2716 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, nagaur is **Substandard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat (the fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee).** The sample also **contravenes Regulation No. 2.3.7.(2) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations 2011 due to presence of foreign fat.**

अतः खाद्यकारोबारकर्ता श्री दिलीप पारीक एवं स्टोर मैनेजर क्वालिटी बाजार, पानी की टंकी के सामने, नया बाजार बोरावड से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (Provedic) नमूना नं. Q-2716 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कोड Q-2716 वाले घी (Provedic) के नमूने में जो खाद्य नमूना खाद्य सुरक्षा मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम संख्या 2.3.7.(2) का उल्लंघन करता है। F.S.S.A. 2006 की धारा 26(2)(ii)(V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है।

क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानको एवं प्रावधानो के अनुरूप नहीं है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(अ) एवं 51 व 58 इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का :-(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा-51 व 58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो धारा 51 पांच लाख एवं धारा 58 दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

जो उक्त अधिनियम 2008 की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार धी (Provedic) में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु श्री दिलीप पारीक एवं स्टोर मैनेजर क्वालिटी बाजार, पानी की टंकी के सामने, नया बाजार बोरवड, व अन्य दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2008 की धारा 58 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05/04/12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 की धारा 58 के तहत अभियुक्त श्री दिलीप पारीक, श्री दगलुराम, श्री बनवारीलाल खाद्यकारोवास्कर्ता व स्टोर मैनेजर, भागीदार मैसर्स क्वालिटी बाजार, पानी की टंकी के सामने, नया बाजार बोरवड, श्री मखनलाल मैसर्स आधार डीसी जयपुर व श्री विक्रम सिंह मैसर्स कायजन डेयरी हरियाणा पर राशि रुपये प्रत्येक पर 5000/- (अक्षरों रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति अधिसूचित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में ट्रजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असाफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश आज दिनांक 18/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(राकेश कुमार गुप्ता)
कुचामनसिटी
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी